प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

(1) मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(2) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सेवायें–2/ 6031 /गेस्ट टीचर/2020–21 दिनांक 22 जुलाई 2020

विषय : **मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप वर्ष 2015 में अनुबन्धित किया गया था उन्हें भी नियुक्त किये जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप वर्ष 2015 में अनुबन्धित किया गया था तथा उनके द्वारा दिनांक 31–03–2018 तक कार्य किया गया है, उन्हें भी नियुक्त किये जाने पर विचार किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–410/XXIV-B-1/2020–31(1) TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई 2020 के द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं (प्रति संलग्न)।

सूच्य है कि वर्तमान में स0अ0एल0टी0 संवर्ग से प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता पदों पर पदस्थापना तथा प्रवक्ता जीवविज्ञान के पदों पर आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कतिपय शिक्षकों के पदस्थापन हेतु सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) द्वारा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त का संज्ञान लेते हुये पदों के चिन्हांकन हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) से समन्वय स्थापित कर शासनादेश संख्या–410/XXIV-B-1/2020–31(1) TC-V माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई 2020 में दिये गये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(आर0के0 कुँवर)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

mail

प्रेषक,

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
कुमाऊँ मण्डल।

पत्रांक/सेवाएं–3क(2)/अराज0/2509-15 /2020–21 दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषय– मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of SLP(Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप में वर्ष 2015 में अनुबन्धित किया गया था, उन्हें भी नियुक्त किये जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाए–2/6031/गेस्ट टीचर/2020–21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, (संलग्नक संख्या–01) जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of SLP(Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप में वर्ष 2015 में अनुबन्धित किया गया था, उन्हें भी नियुक्त किये जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में है।

तद् क्रम में अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of SLP(Civil) Nos. 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप में वर्ष 2015 में अनुबन्धित किया गया था तथा उनके द्वारा दिनाक 31–03–2018 तक कार्य किया गया है, उन्हें भी नियुक्ति किये जाने पर विचार किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–410/XXIV–B–1/2020–31(1) TC-B माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 (संलग्नक संख्या–02) में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

चूँकि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 में प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता जिनके विषय में छात्र सख्या शून्य है अथवा जो असंगत विषय/शाखा में कार्यरत हैं का अन्यत्र विद्यालय में समायोजन हेतु इस कार्यालय द्वारा निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। साथ ही विलीनीकृत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कतिपय शिक्षकों के समायोजन हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव/विकल्प पत्र प्राप्त हुए हैं।

अतः निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में उक्त विद्यालयों का संज्ञान लेते हुए शासनादेश संख्या–410/XXIV–B–1/2020–31(1) TC-B माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 10 जुलाई, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

31.7.20

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0स0/सेवाएं–3क(2)/अराज0/ /2020–21 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

(5) उक्त व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु, निर्धारित पदों हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों / नियमावली के अनुसार होगी।

(6) ऐसे अभ्यर्थी ही शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगे जो निर्धारित पदों हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमों / नियमावली के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी हों।

(7) जनपदों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रकिया हेतु साफ्टवेयर तैयार करवाने, ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, जनपद की रिक्तियों के अनुरूप मैरिट / विकल्प के आधार पर सूचियां व आवेदन का विषयवार विवरण सम्बन्धित जनपदों को प्रेषित किए जाने विषयक कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में **प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट** गठित की जायेगी। गठित समिति के नोडल अधिकारी अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 02 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगें।

(8) जनपद स्तर पर गेस्ट फैकल्टी की तैनाती हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नांकित समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा जनपदवार चयनित गेस्ट फैकल्टी की उपलब्ध करायी गई सूची के आधार पर उक्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन करते हुए विद्यालय का नियमानुसार आवंटन करेगी :–

(1) जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2) मुख्य शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
(3) प्राचार्य डायट	–	सदस्य
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)	–	सदस्य

समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का कोई सदस्य न होने पर जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति / अनूसूचित जन जाति का कोई अधिकारी नामित किया जाएगा, जो कि न्यूनतम समूह "क" स्तर का हो। अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

क्र0 सं0	पद	टी0ई0टी0 II / सी0टी0ई0 टी0 II	स्नातक के गुणांक	स्नातकोत्तर के गुणांक	अनिवार्य प्रशिक्षण (बी0एड0 / एल0टी0 / बी0पी0एड0 / अन्य जैसी स्थिति हो)		शिक्षण अनुभव के गुणांक	योग
					लिखित	प्रयोगात्मक		
1	एल0 टी0	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	–	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।	

क्रमशः 3

2	प्रवक्ता	—	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 10	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 20	1 माह– 1 अंक एक शैक्षिक सत्र– 4 अंक (अधिकतम) एक शैक्षिक सत्र से अधिक शैक्षिक सत्रों की सेवा हेतु उक्तानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जायेंगे, शिक्षण अनुभव के अधिकतम 12 अंक देय होंगे।

(9) अभ्यर्थी द्वारा किसी माह में 15 दिन से अधिक शिक्षण कार्य किए जाने पर एक माह के समतुल्य शिक्षण अनुभव के अंक प्रदान किए जायेंगे, 15 दिन से कम की अवधि में कोई अंक देय नहीं होंगें।

(10) मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचर को वरीयता अंक प्रदान किए जाने के दृष्टिगत शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा जो पूर्व में प्रचलित शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में राज्य के किसी राजकीय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त रहे हों। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। एल0टी0 के पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–9 एवं 10 के लिए शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त रहें हों तथा प्रवक्ता पद हेतु शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जो नियमानुसार कक्षा–11 एवं 12 के लिए शिक्षण हेतु नियुक्त रहे हों।

(11) अभ्यर्थियों के द्वारा किए गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्राप्त मैरिट सूची का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किए जाने के उपरान्त ही सही पाये जाने पर जनपद स्तर से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटित किया जायेगा। जनपद स्तर पर चयन में प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य हेतु अनुबन्धित किया जायेगा। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख, विद्यालय एवं जनपद स्तर पर सुरक्षित रखें जायेंगें।

(12) उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/-- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य होगा तथा प्रतिमाह 01 दिन की दर से आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा। कार्य किए जाने की अवधि का ही वेतन अनुमन्य होगा।

(13) समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर के प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य/महिला शाखा) एवं स0अ0एल0टी0 संवर्ग (सामान्य/महिला शाखा) की समस्त रिक्त पदों की सूची, जिनमें गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है, का विवरण गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें। प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट स्तर से जनपदवार रिक्त पदों का विवरण एवं आवश्यक निर्देश विभागीय वैबसाइट पर अपलोड़ किए जायेंगें। यथा सम्भव न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्र में यह सूचना प्रसारित की जायेगी कि इच्छुक अभ्यर्थी रिक्ति के सापेक्ष निर्धारित अवधि के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु

ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन के लिए 10 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।

(14) ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से प्रथम बैच से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अथवा उससे पूर्व जैसी भी स्थिति हो, तक के लिए शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगें। निर्धारित अवधि से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे शिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

(15) उक्तानुसार शिक्षण कार्य हेतु रखे गये अभ्यर्थियों का नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में उन्हें रू0 100/–के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र जो कि ओथ कमिश्नर द्वारा निर्गत हो, प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।

(16) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक निर्गत हों, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हों।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव/जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक वाद योजित किया जायेगा।

(18) अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं मैरिट तैयार किए जाने हेतु सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं एन0आई0सी0 से भी सहयोग लिया जाय।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय आदेश संख्या–49(म0)XXVII(3)/18–19, दिनांक 23.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या– /XXIV–नवसृजित/2018–32(01)/2013 TC-V तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल को मा0 न्यायालय के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव

संख्या– 410 /xxiv–B–1/2020–31(01)/2013 TC-V

प्रेषक,

रवनीत चीमा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 10 जुलाई, 2020

विषयः– मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of SLP (civil) Nos 428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के अनुपालन में याचीगण एवं वे सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों जिन्हें अतिथि शिक्षकों के रूप में वर्ष 2015 में अनुबंधित किया गया था, उन्हें भी नियुक्त किये जाने पर विचार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने पत्रांक– सेवायें–2/2625/गेस्ट टीचर/2020–21, दिनांक20.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालयमें योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286/2020 (Arising out of SLP (civil) Nos 428–430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के अनुपालन हेतु यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि गेस्ट टीचरों की तैनाती के लिए मैरिट निर्धारण हेतु वर्ष 2015 में निर्धारित मानदण्ड अथवा वर्ष 2018 में निर्धारित मानदण्ड को आधार बनाया जाय तथा उनकी तैनाती/नियुक्ति शासनादेश संख्या–1023 दिनांक 22.11.2018 के बिंदु 02(8) के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.2020 के अनुसार वर्ष 2015 में अनुबंधित गेस्ट टीचर, जिन्होने 31.03.2018 तक कार्य किया है तथा ऐसे अन्य समान व्यक्तियों को, रिक्ति उपलब्ध होने पर तैनात किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 में निर्धारित मानक के अनुसार वर्ष 2015 में अनुबंधित गेस्ट टीचर जिन्होने 31.03.2018 तक कार्य किया है, को ही तैनात किया जाना है अर्थात वर्ष 2018 में निर्धारित मानक के अनुसार विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है तथा 2015 के मानक के आधार पर वर्तमान में पुनः उनकी अर्हता अथवा आयु सीमा के परीक्षण का भी औचित्य नहीं है। **स्पष्टतः उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 2015 में निर्धारित मानक के अनुसार वर्ष 2015 में अनुबंधित गेस्ट टीचर जिन्होने 31.03.2018 तक कार्य किया है तथा उनके समान अन्य व्यक्ति को ही तैनात किया जाना है।**

उक्त के साथ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में गेस्ट टीचरों की तैनाती शासनादेश संख्या–1023 दिनांक 22.11.2018 के प्रस्तर 2(8) में उल्लिखित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे इच्छुक गेस्ट टीचर अपने पूर्व के अनुबंध पत्र के साथ केवल उसी जनपद में आवेदन करेंगे जिस जनपद में वे पूर्व में नियुक्त थे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रवनीत चीमा)
अपर सचिव।

संख्या–1023/XXIV-नवसृजित/18–32(01)/2013 TC-V

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित पी0आई0एल0 याचिका संख्या–86/2013 कुलदीप सिंह रावत व अन्य के साथ विशेष अपील संख्या–66/2017 ललित सिंह बनाम आलोक परमार एवं अन्य में योजित मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन संख्या–501/2018 व अन्य विशेष अपील संख्या–98/2017 ललित मोहन एवं अन्य बनाम श्रीमती संगीता सांगा व अन्य एवं पी0आई0एल0 याचिका संख्या–95/2018 गोपाल दत्त एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने पत्रांक/सेवायें–2/16198/शि0व्यव0/2018–19 दिनांक 31.08.2018 एवं पत्रांक/सेवायें–2/19368/गेस्ट टीचर/2018–19 दिनांक 27.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 14.08.2018 के अनुपालन में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति/तैनाती निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः–

(1) प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष 4200 एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 के रिक्त पदों के सापेक्ष 834 गेस्ट फैकल्टी की तैनाती की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। अभ्यर्थी जिस जनपद में शिक्षण कार्य हेतु इच्छुक हों, उनके द्वारा वरीयता क्रम में जनपदों का विकल्प अंकित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जनपदों हेतु दिए गये विकल्पों में से मैरिट के आधार पर वरीयता क्रम में एक ही जनपद आवंटित किया जायेगा।

(3) महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगें।

(4) आवेदनकर्ताओं का उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता / स0अ0 एल0टी0 में गेस्ट टीचर के रूप में शिक्षण कार्य करने हेतु अनुबन्ध

विद्यालय का नाम–

जनपद–
विषय–
संवर्ग–

यह अनुबन्ध पत्र कु0 / श्री / श्रीमती .....
प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य .....जिन्हें प्रथम पक्ष कहा गया है एवं श्री.....
..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....ग्राम.....
.....पोस्ट.....जिला.....जिन्हें द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक.....को .....बजे निष्पादित किया जाता है–

1. द्वितीय पक्ष की तैनाती मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286 / 2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेगी। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–284–286 / 2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित आदेश में गेस्ट टीचरों की तैनाती से संबंधित आदेश का प्रमुख कियात्मक अंश निम्नवत है, का अध्ययन मेरे द्वारा कर लिया गया है–

   (i) The ultimate concern is to fill up all the vacancies through a regular process. It appears that there is always a hiatus between the vacancies arising and the appointments being made. The solution to that, in our view, is that taking into consideration the time period required for filling up the vacancies, prospective vacancies for that period of time should be taken into account and the recruitment process should take place.

   (VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

   (IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. द्वितीय पक्ष की गैस्ट टीचर के रूप में तैनाती नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती / पदोन्नति / स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करूंगा / करूंगी।
3. द्वितीय पक्ष विद्यालय में एक गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करेगा / करेगी तथा वह अपने आप को राजकीय कर्मचारी नहीं समझेगा / समझेगी और न ही उसे राजकीय कर्मचारी के समान लाभ देय होगा और न ही कोई अधिमान अनुमन्य होगा।
4. द्वितीय पक्ष यदि प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा / करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मापदण्डों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य करने को दी गयी स्वीकृति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।
5. द्वितीय पक्ष का विनियमितीकरण / नियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाएं/प्रमाण पत्र आदि तथ्यहीन या असत्य पाये जाने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे बिना नोटिस के अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द करते हुए विधिक कार्यवाही करे।
7. द्वितीय पक्ष के विरूद्ध विद्यालय में अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं उसे कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल न पाये जाने की दशा में उसे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर व नाम प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
दिनांक.....
हस्ताक्षर साक्षी– 1.....

हस्ताक्षर एवं नाम संबधित गेस्ट टीचर
दिनांक.....
2.....

पृष्ठांकन संख्या/_____/गेस्ट टीचर/2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0).....।
3. कोषाधिकारी.....।
4. वित्त अधिकारी.....।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली–भांति मिलान करने के उपरान्त ही संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद.....

कार्यालयः— मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद ....

आदेश संख्या / /गेस्ट टीचर/2019—20 दिनांक ....

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—284— 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0—104(1)/XXIV-B-1/2020—32(01)/2013 टी0सी0—5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—1023/XXIV—नवसृजित/18—32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक—सेवा—2/27808—09/गेस्ट फैकल्टी/2018—19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के कम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम—11 में अंकित विद्यालय में प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता हैः—

शाखा—सामान्य/महिला

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगीः—

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—284—286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है—

   (IV) **In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.**

   (V) **The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.**

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—284—286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/— (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम—11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद..............